न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्याः–232/17 (जीसीएमएस नं. 2017/00365)

01. हनुमान सहाय पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी लाखनी हाल बी–58, सीकर हाउस जयपुर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट,

बनाम

01. गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
02. कैलाश चन्द पुत्र स्व. प्रभूदयाल,
03. गिरिराज पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
04. रविशंकर पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
05. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
06. जगदीश पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
07. उमाकान्त पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
08. रमाकान्त पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
09. कृष्णा पुत्री स्व. श्री प्रभूदयाल,
10. लीला पुत्री स्व. श्री प्रभूदयाल,
11. मनफूली पत्नी स्व. श्री प्रभूदयाल, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा हाल आबाद डी–138, देवनगर मुरलीपुरा जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
12. सीताराम पुत्र हरिप्रसाद, जाति ब्राहाम्ण निवासी लाखनी हाल आई.टी. आई. के पास वार्ड नम्बर 19 शाहपुरा जयपुर।
13. महादेव प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी लाखनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (दौराने अपील फौत)
    13/1. ब्रहास्वरूप शर्मा पुत्र स्व. श्री महादेव प्रसाद, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
14. सरपंच ग्राम पंचायत कांट, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः–233/17 (जीसीएमएस नं. 2017/00364)

01. हनुमान सहाय पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी लाखनी हाल बी–58, सीकर हाउस जयपुर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट,

बनाम

01. गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
02. कैलाश चन्द पुत्र स्व. प्रभूदयाल,
03. गिरिराज पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
04. रविशंकर पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
05. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
06. जगदीश पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
07. उमाकान्त पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
08. रमाकान्त पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,

P.T.O.

09. कृष्णा पुत्री स्व. श्री प्रभूदयाल,
10. लीला पुत्री स्व. श्री प्रभूदयाल,
11. मनफूली पत्नी स्व. श्री प्रभूदयाल, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा हाल आबाद डी–138, देवनगर मुरलीपुरा जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
12. सीताराम पुत्र हरिप्रसाद, जाति ब्राहाम्ण निवासी लाखनी हाल आई.टी. आई. के पास वार्ड नम्बर 19 शाहपुरा जयपुर।
13. महादेव प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी लाखनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर **(दौराने अपील फौत)**

    13/1. ब्रह्मस्वरूप शर्मा पुत्र स्व. श्री महादेव प्रसाद, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
14. सरपंच ग्राम पंचायत कांट, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः–377/17 (जीसीएमएस नं. 2017/00297)

01. हनुमान सहाय पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी लाखनी हाल बी–58, सीकर हाउस जयपुर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट,

बनाम

01. गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
02. कैलाश चन्द पुत्र स्व. प्रभूदयाल,
03. गिरिराज पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
04. रविशंकर पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
05. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
06. जगदीश पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
07. उमाकान्त पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
08. रमाकान्त पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
09. कृष्णा पुत्री स्व. श्री प्रभूदयाल,
10. लीला पुत्री स्व. श्री प्रभूदयाल,
11. मनफूली पत्नी स्व. श्री प्रभूदयाल, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम लाखनी तहसील शाहपुरा हाल आबाद डी–138, देवनगर मुरलीपुरा जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
12. सीताराम पुत्र हरिप्रसाद, जाति ब्राहाम्ण निवासी लाखनी हाल आई.टी. आई. के पास वार्ड नम्बर 19 शाहपुरा जयपुर।
13. ब्रह्मस्वरूप शर्मा पुत्र स्व. श्री महादेव प्रसाद, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम लाखनी पोस्ट कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 08.02.2021

अपीलान्ट द्वारा दो अपीलें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई एवं एक अपील न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। उक्त तीनों अपीलों की विषयावस्तु, तथ्य एवं वादग्रस्त आराजी एकसमान होने के कारण तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम लेट का बास ग्राम पंचायत कांट द्वारा नामान्तरकरण सख्या 308 एवं 309 पर पारित निर्णय दिनाक 30.09.1973 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट गोपाल कृष्ण वगैरह ने दिनाक 07.04.2011 को उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध असाधारण विलम्ब लगभग 44 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की थी तथा हाल रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में उक्त असाधारण विलम्द के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक कारण नही बताया गया है तथा कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय पृथक से किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 पारित किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.05.2017 को पीओ साहब देवीपुरा कैम्प में पधारने के कारण प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.05.2017 मुकर्रर की गई तथा पत्रावली पर दिनांक 23.05.207 को कैम्प निठारा पूर्व तारीख पेशी दिनांक 08.05.2017 में अंकित करते हुये दिनांक 23.05.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वारा में पेश होना जाहिर किया जबकि प्रकरण में पूर्व तारीख पेशी दिनांक 08.05.2017 को तारीख पेशी दी गई थी, उस वक्त कैम्प के बारे में किसी प्रकार का कोई शब्द अंकित नही किया गया था और ना ही पक्षकारान को अथवा इसके अभिभाषक को ही सूचित किया गया था बल्कि समस्त कार्यवाही मिलीभगत से की गई है, पत्रावली के रिकार्ड से यह भी जाहिर है कि पत्रावली में पक्षकार को कौनसी दिनांक को नोटिस जारी किया गया और कहॉ पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया है बल्कि रेस्पोडेन्ट हाल अपीलार्थी को बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.05.2017 को हाल रेस्पोडन्ट गोपालकृष्ण वगैरह से साझकर अपने मनमानी ढंग से अपीलाधीन एकपक्षीय निर्णय दिनांक 23.05.2017 पारित किये गये है, जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के संलग्न पेश प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय पृथक से गुणावगुण पर किया जाना कानूनन आवश्यक था क्योकि हाल रेस्पोडेन्ट द्वारा लगभग 44 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो मौका जॉच एवं न ही कब्जे की जॉच की है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हाल अपीलार्थी अपीलाधीन निर्णय के अर्न्तगत वर्णित आराजीयात के अन्तर्गत अपनी 1/4 हक व हिस्से की आराजीयात पर लगभग 40 वर्ष से कब्जा काश्त में है, इन तथ्यों को अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी स्व. श्री हरिप्रसाद व स्व. श्री प्रभूदयाल ने एवं रेस्पंडेन्ट महादेव पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल ने स्वीकार किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुये एवं अपने विवेकाधिकारों का अनाधिकृत प्रयोग करते हुये बिना अपीलार्थी को सुचित किये ही व बिना नोटिस दिये ही राजस्व लोक अदालत में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपोलार्थी हनुमान सहाय द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात बाबत दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 15/2010 को प्रतिवादी हरिप्रसाद, प्रभूदयाल व महादेव के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष दिनांक 26.02.2010 को प्रस्तुत किया था जिसकी जवाब देही प्रतिवादीगण दिनांक 04.05.2010 को प्रस्तुत की थी जवाबदेही के मद नम्बर 2 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण हरिप्रसाद प्रभूदयाल व महादेव ने यह स्वीकार किया है कि वादी हनुमान सहाय का आराजीयात में 1/4 हिस्सा व 1/4–1/4 हम चारों भाईयों हनुमान सहाय हरिप्रसाद, प्रभूदयाल व महादेव का समान्तर हक व हिस्सा है, और वाद व जवाबदेही का इल्म रेस्पोडेन्ट को होते हुये भी अपीलार्थीगण हाल रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 308 व 309 की अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें नामान्तरकरण जानकारी दिनांक 18.03.2011 को प्राप्त होने पर हुआ, इन कथनों से साफ जाहिर है कि अपीलार्थीगण हाल रेस्पोडेन्ट गोपाल कृष्ण वगैरहा को इल्म होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों एवं मिथ्या कथनों पर अपील पेश की गई जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानते हुये अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करने में कानूनी भूल करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 308 व 309 के अन्तर्गत वर्णित आराजीयात के पूर्व कब्जे काश्तकार व खातेदार भूरा पुत्र जीवन, भूरा पुत्र खांगा हनुमान पुत्र नारायण व श्योनाराण पुत्र मंगल

की खातेदारी की थी, इस भूमि के क्रय नही किया गया है बल्कि इस जमीन पर कदमी कब्जा काश्त होने के कारण अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के पूर्वाधिकारी हरिप्रसाद, प्रभूदयाल एव महादेव व हनुमान सहाय चारो भाईयो के नाम आराजीयात कब्जे काश्त में रही है जिनमे हरिप्रसाद व प्रभूदयाल की मृत्यु हो जाने के कारण आराजीयात के अपीलार्थी एव रेस्पोडेन्ट कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट है तथा नामान्तरकरण संख्या 308 व 309 दिनाक 30.09.1973 के अन्तर्गत वर्णित आराजीयात पर जागिरी के जमाने से ही अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट महोदव के पिता स्व. श्री कन्हैयालाल व रेस्पोडेन्ट के स्व. पिता हरिप्रसाद व प्रभूदयाल के पिता कन्हैयालाल ही कब्जे काश्त मे थे, दिनाक 02.10.1948 में कन्हैयालाल का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् हम चारों भाई अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट महादेव व रेस्पोडेन्ट के पिता श्री हरिप्रसाद व श्री प्रभूदयाल कब्जे काश्त में रहे जिनमे हरिप्रसाद व प्रभूदयाल की मृत्यु हो चुकी है तभी से इनके वारिसान रेस्पोडेन्ट व महादेव व अपीलार्थी हनुमान सहाय अपने–अपने 1/4–1/4 हक व हिस्से पर कब्जे काश्त में चले आ रहे है, जहॉ तक विक्रय पत्र का सवाल है, जयपुर स्टेट के समय पट्टेदारी प्रथा थी जिनके कारण यह भूमि औंकार पुत्र सेडू के नाम थी लेकिन कब्जा हमारा चला आ रहा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से चालू हुआ तब टाईटल बदलवाने के लिऐ सबने मिलकर अपने बड़े भ्राता के नाम 800/--रूपये में 14 बीघा 19 बिस्वा की रजिस्ट्री करवाई तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 10.11.1963 को करा लिया गया लेकिन कब्जा चारों भाईयो का समानान्तर 1/4–1/4 रहा और चारों भाईयों ने आराजीयात को मौके पर मनबंट भी कर रखा है, इस आधार पर अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट अपने–अपने हक व हिस्से पर कब्जा काश्त में है, हरिप्रसाद व प्रभूदयाल पुत्रान कन्हैयालाल व महादेव ने मिलकर तहसीलदार बैराठ के समक्ष यह निवेदन करते हुये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.1973 को प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण हरिप्रसाद, प्रभूदयाल व महादेव व हनुमान सहाय पुत्र कन्हैयालाल जोशी हम चारों सगे भाई कन्हैयालाल के पुत्र है, ग्राम लाखणी व लेट का बास में स्थित आराजीयात हम चारों भाईयों के नाम संशोधित नामान्तरकरण खुलवा कर प्रमाणित कराने हेतु पटवारी के नाम आदेश फरमावें जिस पर तहसीलदार बैराठ ने पटवारी हल्का कांट को दिनांक 04.08.1973 को आदेश दिये जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 04.08.1973 को नामान्तरकरण भरकर सरपंच के समक्ष तस्दीक करने हेतु प्रस्तुत किया जिसे ग्राम पचायत ने जल्सेआम में दिनांक 30.09.1973 को संशोधित नामान्तरकण तस्दीक कर दिया गया तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ तभी से अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के पूर्वाधिकारी हरिप्रसाद व प्रभूदयाल एवं महादेव व हनुमान सहाय आराजीयात के कब्जा काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट है तथा हरिप्रसाद व प्रभूदयाल की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान हाल रेस्पोडेन्ट आराजीयात के कब्जे काश्तकार व खातेदारी टिनेन्ट चले आ रहे है इससे साफ स्पष्ट है कि हनुमान सहाय ने अपने राजस्व अधिकारी व कर्मचारी पद का कभी भी दुरूपयोग नही किया बल्कि चारों भाईयों ने मिलकर अपनी सहमति से पूर्व पैतृक व कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात बाबत नामान्तरकरण सम्बन्धित कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में पंजीकृत

P.T.O.

दस्तावेजात को सही व गलत कराने का कोई किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न नही होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय में विक्रय पत्र के बारे में कथन करना व विक्रय पत्र को आधार मानकर निर्णय सादिर करना स्वतः ही मिथ्या साबित हो जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वर्ष 1977 में महादेव प्रसाद, हरिप्रसाद, प्रभूदयाल व हनुमान सहाय पुत्रान स्व. श्री कन्हैयालाल बनाम घीसा वगैरह के विरूद्ध दावा स्थाई निषेधाज्ञा जैर दफा 188 आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा के न्यायालय में चला था जिसका निर्णय दिनांक 31.10.2000 को महादेव वगैरह का वाद डिक्री करते हुये वादीगण चारों भाईया महादेव प्रसाद, प्रभूदयाल हरिप्रसाद व हनुमान सहाय पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल का कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजीयात मानते हुये निर्णय पारित किया है तथा निर्णय की पालनार्थ में पुलिस इमदाद से चारों भाईयों महादेव प्रसाद, हरिप्रसाद, प्रभूदयाल व हनुमान सहाय पिसरान कन्हैयालाल की फसल बोवाई तथा रिसीवरी से मौके पर चारों भाईयों को कब्जा संभलाया गया, उक्त तथ्यों की भी अनदेखी करते हुये एव अपने विवेकाधिकारों का अनाधिकृत प्रयोग करते हुये व अपने मनमानी ढंग से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने अपीलाधीन निणर्य दिनांक 23.05.2017 एवं तहसीलदार शाहपुरा ने भी प्रकरण की बिना कोई विस्तृत जॉच किये ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 किया गया है जो न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की तीनों अपीले स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 एवं तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 को निरस्त करते हुये सरपंच ग्राम पंचायत कांट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 308 व 309 पर पारित आदेश दिनांक 30.09.1973 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करें जिससे अपीलार्थी को उचित न्याय व राहत मिल सके व अपनी हक व हिस्से की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात से महरूम न हो सके।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 42 लगायत 5, 47, 51, 110, 114, 115, 821 सालिम तथा खसरा नम्बर 817 व 816 का हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.12.1962 को खातेदारान से प्रभूदयाल व हरिप्रसाद पुत्रान कन्हैयालाल ने खरीद किया था तथा बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हुये उक्त विक्रय पत्र के आधार पर हरिप्रसाद व प्रभूदयाल के हक में नामान्तरकरण सख्या 139 दिनांक 10.11.1963 को स्वीकार किया जा चुका था तदनुसार जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड में उक्त खरीददार के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन हुआ लेकिन हरिप्रसाद व स्व. प्रभूदयाल के पीठ पिछे से अपीलान्ट हनुमान सहाय जो कि राजस्व विभाग में कर्मचारी था, ने अपने पद का नाजायज फायदा उठाकर उक्त खरीदशुदा जमीन में कुल किता 10 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा का राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गाठ कर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 30.09.1973 को स्वीकार करवाया तथा 1 बीघा 16 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 308 स्वीकार करवाया जो कि बिना किसी कानूनी अधिकार के होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष निरस्तनीय ही थे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि सरपंच का तथाकथित आदेश दिनांक 30.09.1973 केवल मात्र सरपंच के द्वारा आदेश पारित किया गया है जबकि सरपंच को इस प्रकार का आदेश पारित करने का कोई कानूनन अधिकार नही है। उन्होने कथन किया है कि ग्राम पंचायत कौरम में ना तो इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लिया गया है, और ना ही ग्राम पंचायत का यह आदेश है, ऐसी सूरत में भी नामान्तरकरण पर पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय थे। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने हरिप्रसाद व प्रभूदयाल के पीठ पिछे से सरपंच द्वारा नामान्तरकरण पर आदेश पारित किये गये थे, जो विधि विधान एवं कानूनी दृष्टि से अवैध थे और ऐसी विधि विधान के विरूद्ध आदेशों को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलान्ट ने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर रेस्पोडेन्ट को मजाहमत करने की धमकी दी तब रेस्पोडेन्ट ने राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई व नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, नकल दिनांक 18.03.2011 को प्राप्त हुइ तद्परान्त कानूनी सलाह लेकर बिना किसी देरी के जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गई थी जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत रूप से सुनवाई की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2017 पारित किये गये है, जो कानूनी दृष्टि से उचित व सही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेश दिनांक 23.05.2017 की पालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा भी प्रकरण की विधिवत सुनवाई की जाकर नामान्तरकरण संख्या 309 बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की तीनों अपीलें सारहीन व बलहीन होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की तीनों अपीलें निरस्त फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन भी किया गया। प्रथमतः पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 308 व 309 बिना किसी जॉच एवं ठोस आधार पर सरंपच ग्राम पंचायत कांट द्वारा स्वीकृत किये गये थे, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरस्तनीय ही थे। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 विधि सम्मत होने से अपीलान्ट की अपील संख्या 232/17 एवं 233/17 खारिज योग्य है एवं पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट हनुमान सहाय एवं वर्तमान रेस्पोडेन्ट के पूर्वज महादेव, हरिप्रसाद एवं प्रभूदयाल ने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा के समक्ष व्यक्तियों के विरूद्ध दावा स्थाई निषेधाज्ञा जेरदफा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया है, जिसके निर्णय दिनांक 31.10.2000 से न्यायालय द्वारा साबिक खसरा नम्बर 110, 114, 115 जिसके हाल खसरा नम्बर 179, 180, 181 वाके ग्राम लेट का बास तहसील शाहपुरा पर वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा नही करने हेतु अन्य व्यक्तियों पाबन्द किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त आराजी अपीलान्ट व वर्तमान रेस्पोडेन्ट के पूर्वज के कब्जे काश्त व खातेदारी में रही है तथा पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में और भी कई वाद चले है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों पर बिना विचार किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दो अपीलें क्रमशः अपील संख्या 232/17 उनवान हनुमान सहाय बनाम गोपाल कृष्ण एवं अपील संख्या 233/17 उनवान हनुमान सहाय बनाम गोपाल कृष्ण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 को यथावत रखे जाते है एवं अपीलान्ट की अपील संख्या 377/17 उनवान हनुमान सहाय बनाम गोपालकृष्ण स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं प्रकरण की विस्तृत जॉच पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0समिति शर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर